न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः—नथमल डिडेल, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः—07 / 2021 (14 सिक्योरिटाइजेशन)

पंजाब नेशनल बैंक मिड कॉर्पोरेट शाखा चैम्बर भवन एम.आई.रोड़ जयपुर, जरिये प्राधिकृत अधिकारी।

——प्रार्थी

बनाम

1. अमनदीप तरार पुत्र श्री ओम प्रकाश पता—वार्ड नं. 09, रेलवे स्टेशन के पास, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर—335062।

——ऋणी व बन्धककर्ता

2. ओम प्रकाश पुत्र श्री गोपीराम पता—वार्ड नं. 09, रेलवे स्टेशन के पास, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर—335062।

——जमानती

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र।

आदेश दिनांकः—15.07.2021

प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक मिड कॉर्पोरेट शाखा—चैम्बर भवन एम.आई.रोड़, जयपुर की ओर से श्री भवानी सिंह निर्वाण वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। बैंक के वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक ने ऋणी को दिनांक 06.11.2018 को 4,95,000,00 / —(अखरे चार करोड़ पिचानवें लाख रूपये) की ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई थी। ऋणी / अप्रार्थी ने उक्त ऋण सुविधा मय ब्याज के पुनर्भुगतान की सिक्योरिटी के रूप में अपनी चल व अचल सम्पत्तिां अनुसूची—1 श्री अमनदीप तरार पुत्र श्री ओमप्रकाश की व्यवसायिक सम्पति जो कि चक 10 बी.एल.डब्लू. ग्राम पंचायत खोथावाली, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ, राजस्थान में स्थित है जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सम्पति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप खाता संख्या 10 / 99 के पत्थर नं. 41 / 247 (32) के मुरबा नं. 32 के कि. नं. 1 से 4 (1.012 हैक्ट.) किला नं. 5 का 0.51 हैक्ट. यथा कुल भूमि 1. 063 हैक्ट. रकबा है। अनुसूची—2 दृष्टिबंधक प्लॉट एवं मशीनरी मय वेट ब्रिज एवं अन्य उपकरण जो कि चक 10 बी.एल.डब्लू. ग्राम पंचायत खोथावाली, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राज. में स्थित है जिसको असल कागजात मय उस पर निर्मित तामीरात के प्रार्थी बैंक के पक्ष में साम्यिक बंधक किया।

अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के उक्त ऋण को समय पर चुकाने में असफल होने और ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के ऋण खाता को नियमानुसार दिनांक 06.09.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया।

Web Copy - Not Official

अप्रार्थीगण के ऋण खाता एनपीए होने पर एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक मिड कॉर्पोरेट शाखा–चैम्बर भवन एम.आई.रोड़, जयपुर द्वारा अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 03.10.2019 भेज कर 60 दिन में ऋण राशि 3,62,30,577.42/–(रूपये तीन करोड़ बासठ लाख तीस हजार पांच सौ सतहतर पैसे बयालिस मात्र) दिनांक 02.10.2019 तक व दिनांक 01.09.2019 से आगे का देय ब्याज व खर्चो सहित बकाया राशि का पूर्णभुगतान की मांग की गई। प्रार्थी बैंक के वकील ने यह भी कथन किया कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाई गयी व न ही बंधक शुदा सम्पति का सम्पूर्ण वास्तविक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया।

अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की सम्पूर्ण राशि बैंक को जमा नहीं करवाई है। उक्त एक्ट के प्रावधानो के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा 14 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को उक्त बंधक शुदा सम्पति का भौतिक कब्जा पुलिस सहायता से दिलाया जावे ताकि अधिनियम के प्रावधानानुसार सम्पति बेचकर बकाया ऋण राशि वसूल की जा सके।

पंजाब नेशनल बैंक मिड कॉर्पोरेट शाखा–चैम्बर भवन एम.आई.रोड़, जयपुर के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया जाना पाया गया। इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि की शर्तों के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा पंजाब नेशनल बैंक मिड कॉर्पोरेट शाखा–चैम्बर भवन एम.आई.रोड़, जयपुर के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त ऋण की सुविधा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक चल व अचल सम्पत्तिां अनुसूची–1 श्री अमनदीप तरार पुत्र श्री ओमप्रकाश की व्यवसायिक सम्पति जो कि चक 10 बी.एल.डब्लू. ग्राम पंचायत खोथावाली, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ, राजस्थान में स्थित है जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सम्पति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप खाता संख्या 10/99 के पत्थर नं. 41/247 (32) के मुरबा नं. 32 के कि. नं. 1 से 4 (1.012 हैक्ट.) किला नं. 5 का 0.51 हैक्ट. यथा कुल भूमि 1.063 हैक्ट. रकबा है। अनुसूची–2 दृष्टिबंधक प्लॉट एवं मशीनरी मय वेट ब्रिज एवं अन्य उपकरण जो कि चक 10 बी.एल.डब्लू. ग्राम पंचायत खोथावाली, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राज. में स्थित है जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति हेतु प्रार्थी बैंक द्वारा चाहे अनुसार पुलिस सहायता संबंधित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ व पंजाब नेशनल बैंक मिड कॉर्पोरेट शाखा–चैम्बर भवन एम.आई.रोड़, जयपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 15.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़